

प्रेषक,

बृजेन्द्र सिंह,  
अनु सचिव,  
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
स्थानीय निकाय निदेशालय,  
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक 18 फरवरी 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में पं० दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत नगर निकायों को अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

प्रदेश की छोटी नगर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं यथा पेयजल, सैपटेज मैनेजमेंट, सड़क, साइड पटरी, नाली, जल निकासी, फुटपाथ, सोलर लाइट/एलईडी लाइट, सार्वजनिक शौचालयों, तालाब संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण, चौराहों का निर्माण, पार्क/खेल मैदान का निर्माण/सुधार, सामुदायिक केन्द्र, गौशाला का निर्माण आदि सार्वजनिक सुविधाओं का सृजन कर नागरिकों को गुणवत्ता पूर्ण सुविधाओं को प्रदान करने तथा नगरों/कस्बों के समेकित एवं नियोजित विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पं० दीनदयाल आदर्श नगर पंचायत योजना लागू की गयी है, जिसके संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या-777/नौ-8-2018-53ज/2017-टीसी दिनांक 21 मार्च, 2018 द्वारा निर्गत किये गये हैं तथा शासनादेश संख्या-47/9-8-2019-53ज/2017 दिनांक 05.01.2019 द्वारा प्रभावी दिशा-निर्देशों में सरलीकरण/संशोधन के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में पं० दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना में प्रावधानित धनराशि से, संलग्न सूची में अंकित कार्य विवरण के अनुरार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त 07 नगर पंचायतों द्वारा उपलब्ध करायी गयी कार्ययोजना के सापेक्ष धनराशि रूपये 2267.77 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति की अनुमति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रूपये 1133.88 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ तैंतीस लाख अठ्ठासी हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त धनराशि शासनादेश संख्या-777/नौ-8-2018-53ज/2017-टीसी दिनांक 21 मार्च, 2018 तथा शासनादेश संख्या-47/9-8-2019-53ज/2017 दिनांक 05.01.2019 में पं० दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के संबंध में प्रख्यापित दिशा-निर्देशों के अधीन स्वीकृत की जा रही है।
- (2) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-वी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 के अनुसार प्रथम किश्त की धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय होने पर निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात आगामी वित्तीय वर्ष में अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
- (3) यदि निकायों के खाते में धनराशि स्थानान्तरित किये जाने की प्रक्रिया में कोई विलम्ब होना है तो इसके लिए सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा एवं अवमुक्त धनराशि पर मिलने वाले ब्याज की गणना कर, जिसे राजकोष में जमा किये जाने की व्यवस्था है, को सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी से जमा कराया जाएगा।
- (4) नगर विकास विभाग के अन्तर्गत ड्रेनेज से सम्बन्धित कराए जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-3788/9-5-2012-111 बजट/2010 दिनांक 09.10.2012 की

व्यवस्थानुसार नगर पालिका परिषदों द्वारा रूपये 25.00 लाख तथा नगर पंचायतों द्वारा रूपये 5.00 लाख तक के डेनेज सम्बन्धी कार्य कराये जा सकेंगे। क्रमशः इससे अधिक के डेनेज सम्बन्धित कार्य सी.एण्ड. डी.एस., उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।

- (5) यदि शासनादेश में स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है तो सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे शासन/स्थानीय निकाय निदेशालय को तत्काल अवगत करायें।
  - (6) नागर निकाय द्वारा अवस्थापना निधि/अन्य निधि से निर्मित होने वाली सड़कों का निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07.6.2013 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  - (7) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों में कहीं पर गुणवत्ता की कमी अथवा निर्धारित मानक के विपरीत कार्य कराये जाते हैं तो इसके लिए सम्बन्धित ठेकेदार, अवर अभियंता, अधिशासी अधिकारी, नागर निकाय के अध्यक्ष, चयनित आर्किटेक्ट/टाउन प्लानर तथा प्रभारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत बराबर के उत्तरदायी होंगे।
  - (8) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों में यदि गुणवत्ता खराब होने, अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एवं तकनीकी त्रुटि के कारण टूटफूट होती है तो निर्माण कार्यों की पूर्णता की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर उसका रख-रखाव सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा। इसका उल्लेख टेण्डर की शर्तों में किया जायेगा।
  - (9) स्वीकृत कार्यों को शासन द्वारा अनुमोदित लागत पर ही पूर्ण कराया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कम धनराशि अवमुक्त की गयी है, तो उक्त कार्य को योजनान्तर्गत स्वीकृत अन्य कार्यों की बचतों/निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों से पूर्ण कराया जायेगा।
  - (10) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
  - (11) स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में सूची में अंकित कार्यों से अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। स्वीकृत कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।
  - (12) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों द्वारा किया जायेगा।
  - (13) वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी अथवा लेखा का कार्य देखने वाला अन्य अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे।
  - (14) आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित स्थानीय निकाय का होगा। अतएव विभिन्न स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
  - (15) इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के उपरान्त उसकी गुणवत्ता की चेंकिंग कराकर वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/महालेखाकार कार्यालय को दिनांक 31 मार्च, 2019 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा पं० दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि को योजनान्तर्गत निदेशालय स्तर पर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाले गये नोडल खाते के माध्यम से सम्बन्धित नागर निकायों द्वारा पं० दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खाले गये बचत खाते में 07 दिनों के अन्दर धनराशि अन्तरित की जाय।

4. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत "लेखा शीर्षक 2217-शहरी विकास, 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-05-पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
(बृजेन्द्र सिंह)  
अनु सचिव।

संख्या- 5800/9-8-19 तददिनांक।


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/ मा0 राज्य मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
6. सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, नागर निकाय को इस आशय से प्रेषित कि कृपया योजनान्तर्गत धनराशि निकाय के खाते में निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा हस्तान्तरित किये जाने के लिये योजनान्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते का पूर्ण विवरण/कैंसिल्ड चेक के साथ तीन दिन के अन्दर निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,  
(बृजेन्द्र सिंह)  
अनुसचिव।


संख्या- 580 / 9-8-2019-05डी0डी0यू0(बजट)/2019 दिनांक 18 फरवरी, 2019 का संलग्नक।

क्र० सं०	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में)	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	ललितपुर	न0पं0 तालबेहट	1. पार्क का निर्माण कार्य।	138.49		
			2. मूर्ति विसर्जन का निर्माण कार्य।	11.53		
			3. नवरात्री मेला मैदान की छाया का कार्य।	5.58		
			4. क्रीमिनेशन के निकट पार्क की चहार दीवारी को ऊँचा किये जाने का कार्य।	11.82		
			5. कब्रिस्तान की चहार दीवारी का निर्माण कार्य।	5.47		
			6. रावण मैदान के निकट कब्रिस्तान में टीन शेड का कार्य।	6.24		
			7. शान्तिपुरम में विद्युतीकरण का कार्य।	28.82		
			8. पुराने एवं नए बस स्टैंड के निकट यात्री शेड का कार्य।	17.57		
			9. नगर पंचायत, तालबेहट में डिजाईनर पोल का निर्माण	28.82		
			10. इन्स्पेक्शन हाउस के निकट यात्री शेड का निर्माण कार्य।	4.39		
			11. विनय तिवारी के मकान से रमेश यादव के मकान तक विद्युतीकरण का कार्य।	34.58		
			12. छाया का कार्य क्रीमिनेशन के निकट।	3.14		
			13. आरकेटेवट की फीस 1.80 प्रतिशत।	5.44		
			14. जी0एस0टी आर्किटेक्ट की फीस पर 18 प्रतिशत।	0.98		
<b>योग</b>				<b>302.87</b>	<b>300.00</b>	<b>150.00</b>

  
**(बृजेन्द्र सिंह)**  
 अनु सचिव।  
 ५


संख्या- 580 / 9-8-2019-05डी0डी0यू0(बजट)/2019 दिनांक 18 फरवरी, 2019 का संलग्नक।

क्र० सं०	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में)	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
2	कानपुर नगर	न०प०, शिवराजपुर	1. वार्ड न० 6 राम कृष्ण नगर में नरिया तालाब के सुन्दीकरण का कार्य।	120.12		
			2. वार्ड न० 8 जवाहर नगर में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का निर्माण कार्य।	147.65		
<b>योग</b>				<b>267.77</b>	<b>267.77</b>	<b>133.88</b>

  
(बृजेन्द्र सिंह)  
अनु सचिव।

~~संख्या- / 9-8-2019-05डी0डी0यू0(बजट)/2019 दिनांक फरवरी, 2019 का संलग्नक।~~

क्र० स०	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/भद	प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में)	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
3	फिरोजाबाद	न०प०, जसराना	1. सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	104.52		
			2. पार्क का निर्माण एवं स्वागत गेट का निर्माण कार्य।	41.21		
			3. सोलर लाईट पैनल लगाये जाने हेतु।	36.34		
			4. सामुदायिक हाल का निर्माण कार्य।	79.57		
			5. पेवर्स रबर मोलटेड का कार्य।	38.97		
<b>योग</b>				<b>300.61</b>	<b>300.00</b>	<b>150.00</b>

  
**(बृजेन्द्र सिंह)**  
 अनु सचिव।

संख्या- 580 /9-8-2019-05डी0डी0यू0(बजट)/2019 दिनांक 18 फरवरी, 2019 का संलग्नक।

क्र० स०	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में)	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
4	महोबा	न0प0, कबरई	1. सामुदायिक हाल का निर्माण कार्य।	128.50		
			2. घासी तालाब का निर्माण कराये जाने हेतु।	276.73		
			3. आर्किटेक्ट फीस 02 प्रतिशत।	8.10		
योग				413.33	400.00	200.00



(बृजेन्द्र सिंह)

अनु सचिव।





संख्या- 580/9-8-2019-05डी0डी0यू0(बजट)/2019 दिनांक 18 फरवरी, 2019 का संलग्नक।

क्र० सं०	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में)	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
5	हाथरस	न०प०, सासनी	1. इग्लास रोड, सासनी में शमशान घाट का निर्माण कार्य।	81.10		
			2. नगर पंचायत, सासनी में एन०एच०-93 रोड के डिवाइडर पर 90 वाट की स्ट्रीट लाईट लगाये जाने का कार्य।	30.44		
			3. नगर पंचायत, सासनी में एन०एच०-93 से पंच के तालाब तक सी०सी० इंटरलाकिंग टाइल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	9.20		
			4. नगर पंचायत, सासनी में विभिन्न वार्डों में 100 वाटर पम्प लगाये जाने का कार्य।	56.33		
			5. नगर पंचायत, सासनी के वार्ड न०-07 में धर्मशाला की दूसरी मंजिल बनवाये जाने का कार्य।	33.00		
			6. नगर पंचायत, सासनी में कब्रिस्तान का निर्माण कार्य।	19.10		
			7. नगर पंचायत, सासनी में ईदगाह के कैम्पस में निर्माण कार्य।	42.50		
			8. नगर पंचायत, सासनी वार्ड न०-5 जैनपुरी में योगेश के मकान से रमन के मकान तक सी०सी० इंटरलाकिंग टाइल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	9.80		
			9. नगर पंचायत, सासनी में मोहल्ला चीपती में असगर के मकान से नरेश के मकान तक सी०सी० इंटरलाकिंग टाइल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	1.33		
			10. नगर पंचायत, सासनी वार्ड न०-8	11.90		


2



		अभयपाल के मकान से सरोज देवी के मकान तक सी0सी0 इंटरलाकिंग टाइल्स एवं नाली निर्माण का कार्य।			
		02 प्रतिशत आर्किटेक्ट फीस।	8.27		
		18 प्रतिशत जी0एस0टी0 फीस।	1.49		
<b>योग</b>			<b>304.46</b>	<b>300.00</b>	<b>150.00</b>


  
**(बृजेन्द्र सिंह)**  
 अनु सचिव।  


क्र० सं०	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में)	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
6	कुशीनगर	न०प० सेवरही,	1. सब्जी मण्डी से दही हट्टा तक कलर इण्टरलाकिंग एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	67.22		
			2. रामेश्वरी पेटी वाले के दुकान से भीठा मण्डी-उमेश चन्द्र शाही के हास्पिटल होते हुये हरिशंकर मद्धेशिया के दुकान तक कलर इण्टरलाकिंग एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	71.92		
			3. दारा सिंह के मकान से बिनोद जायसवाल के मकान तक कलर इण्टरलाकिंग एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	46.55		
			4. राजेन्द्र साइकिल स्टोर से संजय बरनवाल तक कलर इण्टरलाकिंग एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	61.58		
			5. हरिशंकर शर्राफ से कृष्णा जायसवाल के गल्ला दुकान तक कलर इण्टरलाकिंग एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	76.62		
			6. सजीवन के मकान से श्यामसुन्दर मिश्रा के मकान तक कलर इण्टरलाकिंग एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	76.62		
<b>योग</b>				<b>400.51</b>	<b>400.00</b>	<b>2000.00</b>

  
**(बृजेन्द्र सिंह)**  
 अनु सचिव।

क्र० सं०	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में)	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
7	श्रावस्ती	न० पं० इकौना	1. मोहल्ला बेचुबाबा में रामलीला मैदान के गेट से देवी कोठी गेट तक पटरी पर इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	44.02		
			2. मोहल्ला अम्बेडकर नगर में मोहन कुर्मी के मकान से राम फरेन मिश्रा के मकान तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य।	33.35		
			3. मोहल्ला तिलक नगर में सूर्यनारायण शर्मा से राम जानकी स्कूल तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य।	18.56		
			4. मोहल्ला मुबारक नगर में बाबा जय गुरुदेव गेट से पॉच पीरान मस्जिद तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य।	28.42		
			5. मोहल्ला अम्बेडकर नगर में पुलिया से चेतावन के खेत तक इण्टरलाकिंग कार्य।	12.55		
			6. मोहल्ला चौक देवी पान की दुकान से सतीश के मकान तक आर०सी०सी० नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	18.69		
			7. मोहल्ला लाजपत नगर से सुमन तिवारी के मकान से ओंकार नाथ तिवारी के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	8.77		
			8. मोहल्ला तिलक नगर में बशीर मुल्ला के मकान से मोहम्मद हनीफ की दुकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	15.81		
			9. मोहल्ला शस्त्री नगर में अजीजुल के मकान से रजीउल्ला चौधरी के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	4.99		
			10. मोहल्ला शस्त्रीनगर में अजीजुल के मकान से मून एण्ड सन स्कूल तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	22.24		
			11. मोहल्ला पटेल नगर में श्याम बिहारी शर्मा के मकान से स्कूल होते हुए कब्रिस्तान तक सी०सी० रोड कार्य।	26.44		

			12. एल0ई0डी0 हाईमास्ट पोल 12.5 मीटर ऊँचाई।	72.02		
			योग	305.86	300.00	150.00
			कुल योग	2295.41	2267.77	1133.88

  
(बृजेन्द्र सिंह)  
अनु सचिव।  
